कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

---:: ।। संशोधित आदेश ।।::---

(नवीन निजी अशासकीय महाविद्यालय हेतु)

भोपाल, दिनांक: 05/06/2025

क्रमांक: 460/ आउशि/ सम्बद्धता / 2025: प्रदेश में सत्र 2025-26 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है|

3. मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ ट्रस्ट/ कंपनी द्वारा प्रस्तावित नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने एवं नवीन पाठ्यक्रमों/ विषयों को प्रारंभ करने ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 30/09/2024 निर्धारित की गई थी ।

4. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

5. संस्था द्वारा प्रस्तावित नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रांरभ करने एवं नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये निर्धारित अवधि में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया। भौतिक परिक्षण के समय आवेदन पत्र के अभिलेखों में कोई विसंगति पायी जाती है तो प्रदाय मान्य प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

6. संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किये गये दस्तावेजों के मिलान / परीक्षण उपरान्त **आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश दवारा अनुमोदन उपरांत नवीन अशासकीय महाविद्यालय हेतु मान्य / अमान्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, विवरण निम्नानुसार है :-**

क्र.	विवरण	बिंदु क्रमांक	अभिमत
1.	विश्वविद्यालय का नाम	KRANTISURYA TANTYA BHIL VISHWAVIDYALAYA, KHARGONE	----------
2.	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	SWA.GULAB BAI YADAV SMRITI TRUST BORAWAN	----------
3.	नवीन अशासकीय महाविद्यालय का नाम एवं पता	SWA.GULAB BAI YADAV SMRITI SHIKSHA MAHAVIDYALAYA BORAWAN, DIST. KHARGONE SARVER DEVLA ROAD TEHSIL KASRAWAD DISTRICT KHARGONE MADHYA PRADESH PIN 451228 DIST. KHARGONE DIST. KHARGONE	----------
4.	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	B. A. [ALL YEAR] COMPUTER, ECONOMICS, EDUCATION, POLITICAL SCIENCE, PSYCHOLOGY,	----------
5.	मान्य: नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	B. A. [ALL YEAR] COMPUTER, ECONOMICS, EDUCATION, POLITICAL SCIENCE, PSYCHOLOGY,	,
6.	अमान्य: नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	Nill	

7. मूल आवेदन परीक्षणोपरांत प्रथम चरण में संबंधित संस्था को आयुक्त, उच्च शिक्षा स्तर से जारी अमान्य प्रमाण पत्र प्रकरण हेतु जारी आदेश दिनांक से मार्गदर्शिका की कंडिका 7 एवं 7.1 के तहत संस्था द्वारा 15 दिवस में अद्यतन प्रमाणित दस्तावेजों के साथ रिव्यू हेतु शुल्क राशि रुपये 35000/- के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा |

8. संबंधित विश्वविद्यालयों में वर्तमान सत्रों के लिये संबद्धता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की तिथि से 07 दिवस होगी। अतः संबद्धता हेतु संस्था द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय में आवेदन समयसीमा में प्रस्तुत किया जाये ।

9. मार्गदर्शिका के परिपालन में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के लिये अधिकतम 03 वर्ष तक मान्य होगा ।

10. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाये।

11. उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

12. किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे ।

13.अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं मार्गदर्शिका में निहित समस्त प्रावधान / नियम का पालन संबंधित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. अखिलेश कुमार शर्मा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्र. 461/ आउशि/ संबध्दता/ 2025 भोपाल, दिनांक: 05/06/2025

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.)।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल (म.प्र.)।
4. संबंधित अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय INDORE (म.प्र.)।
5. संबंधित कुलसचिव, KRANTISURYA TANTYA BHIL VISHWAVIDYALAYA, KHARGONE, (म.प्र.)।
6. प्राचार्य, संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, (म.प्र.)।
7. संबंधित संस्था **SWA.GULAB BAI YADAV SMRITI SHIKSHA MAHAVIDYALAYA BORAWAN, DIST. KHARGONE** के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश|

..................सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु |

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

क्रमांक 1716 /684/आउशि/संबद्ध/09 भोपाल,दिनांक– 25/6/09

प्रति,

अध्यक्ष,/सचिव,
स्व0 गुलाबबाई यादव स्मृति ट्रस्ट, बोरवां,
तहसील कसरावद जिला खरगौन।

विषयः– मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 की धारा 24(xii) एवं 26(एक)(v) एवं धारा 35(j) के अंतर्गत सत्र 2009–10 से अनुमति–अशासकीय स्व0 गुलाबबाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय, बोरवा जिला खरगौन।

संदर्भः– संस्था का आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक 6.5.09

—

उपरोक्त विषयांतर्गत संस्था का नाम स्व0 गुलाबबाई यादव स्मृति ट्रस्ट, बोरवां, द्वारा संचालित– अशासकीय स्व0 गुलाबबाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय, बोरवा जिला खरगौन को सत्र 2009–10 से निम्नानुसार कक्षाएं/ पाठ्यकम हेतु सशर्त अनुमति/अनुशंसा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :–

विषय/पाठ्यकम
बी0 एड0–निरंतरता
एम0एड0–निरंतरता

2/ उक्त प्रदत्त अनुशंसा प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय से संबंद्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर जुलाई, 2009 तक कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा में प्रस्तुत करें । अन्यथा अनुशंसा प्रमाण पत्र स्वतः अमान्य माना जाएगा एवं इसके लिए पृथक से कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा ।

3/ संस्था कालेज कोड 28 के अन्तर्गत नियुक्तियॉ आवश्यक रूप से कर ले ।

4/ एन0सी0टी0ई0 के मापदण्डों के अनुसार अधोसंरचना एवं शैक्षणिक–गैर शैक्षणिक स्टाफ की पूर्ति सुनिश्चित करें।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ0 जयश्री मिश्रा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

क्रमांक /684/आउशि/संबद्ध/09 भोपाल,दिनांक–

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ व योग्य आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग,भोपाल
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स भोपाल ।
3. कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर उज्जैन संभाग, इंदौर।
5. प्राचार्य, अग्रणी शासकीय पी0जी0 महाविद्यालय, इंदौर।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

5

कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

क्रमांक 909 / आउशि / संबद्ध / 07 भोपाल,दिनांक– 31.5.08

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव,
स्व. गुलाबबाई यादव स्मृति ट्रस्ट ग्राम बोरावा
जिला खरगौन

विषय:– मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 की धारा 24(xii) एवं 26(एक)(v) एवं धारा 35(j) के अंतर्गत सत्र 2008–09 से बी.एड. एवं एम.एड. (निरन्तरता)पाठ्यकम की अनुशंसा प्रमाण–पत्र

संदर्भ:– संस्था का आवेदन पत्र दिनांक 9.4.08.

उपरोक्त विषयांतर्गत संस्था का नाम स्व. गुलाबबाई यादव स्मृति ट्रस्ट ग्राम बोरावां जिला खरगौन द्वारा संचालित –अशासकीय गुलाब बाई यादव स्मृति महाविद्यालय बोरावा को सत्र 2008–09 से निम्नानुसार कक्षाऐं / पाठ्यकम हेतु अनुमति / अनुशंसा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :–

विषय / पाठ्यकम
बी0एड0(निरन्तरता)
एम0एड0 (निरन्तरता)

2/ उक्त प्रदत्त अनुशंसा प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय को आवेदन करें एवं विश्वविद्यालय से संबंद्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर 01 जुलाई, 2008 तक कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा में प्रस्तुत करें । अन्यथा अनुशंसा प्रमाण पत्र स्वतः अमान्य माना जाएगा एवं इसके लिए पृथक से कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा ।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

आदेश
(डॉ0 मंजुला शर्मा)
अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

क्रमांक / आउशि / संबद्ध / 07 भोपाल,दिनांक–

प्रतिलिपि:–सूचनार्थ व योग्य आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल ।
2. कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर ।
3. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स भोपाल ।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ,इन्दौर–उज्जैन संभाग, इन्दौर ।
5. प्राचार्य, अग्रणी शासकीय पीजी महाविद्यालय खरगौन।

सहायक संचालक
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

अनापत्ति प्रमाण - पत्र

भोपाल, दिनांक :-

क्रमांक /3239/2001/2002 राज्य शासन स्व. गुलाब बाई स्मृति ट्रस्ट बोरावां जिला- खरगोन द्वारा संचालित "स्व. गुलाब बाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय बोरावां खरगोन " को निर्धारित नियमों के अन्तर्गत सत्र 2002-2003 से बी.एड. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करता है।

2- यह पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, भोपाल से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3- एन.सी.टी.ई. की मान्यता के उपरान्त प्रवेश प्री. बी.एड. परीक्षा के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित काउंसिलिंग द्वारा दिया जावेगा।

4- अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त पर दिया जाता है कि इस कोर्स के लिए राज्य शासन से कोई अनुदान एवं सहायता नहीं दी जावेगी।

5- निर्धारित शर्तों की पूर्ति न कर सकने की स्थिति में एन.ओ.सी. स्वतः निरस्त हो जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Sd/-
(एम. एल. आर्य)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

श्री रवि जोशी
हेतु

पृ.क्र. 5038/3239/2001/2002
भोपाल, दिनांक:- 31/12/2001

प्रतिलिपि:-
1. संचालक, म.प्र. राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भोपाल को उनके पत्र क्र. स्कल नस्ती टीप क्रमांक 5199 दि. 29.12.2001 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. क्षेत्रीय, निर्देशक, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, क्षेत्रीय समिति, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. प्राचार्य... गुलाब बाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय, बोरावां, खरगोन

M L Arya
अवर सचिव 31/12/2001